न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2021 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाडा	बनाम	1. शंकरी पुत्री गंगाराम कुम्हार निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर. एच.सी./1612/2013/भीलवाडा सरकार बनाम शंकरी पुत्री गंगाराम कुम्हार निवासी कोशीथल निर्णय दिनांक 31.03.2021 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन रूल 1979 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लेवें।

1. ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा के आराजी नंबर 2998 रकबा 25.47 हैक्टयर भूमि किस्म गै0मु0 नदी जमाबन्दी संवत् 2055–58 में दर्ज रेकार्ड थी। उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के आदेश क्रमांकः 25/1998 दिनांक 10/09/1998 तथा तहसीलदार सहाड़ा के आदेश क्रमांक 98/357 से ग्राम कोशीथल की आराजी नं0 2998 में से 0.05 हैक्टयर भूमि विपक्षी को कुंआ हेतु गैर खातेदारी (लीज) हक से नियमन की गई। जिसके नवीन आराजी नं0 6874/2998 रकबा 0.05 हैक्टयर कायम हुए। नामान्तरकरण सं0 136 दिनांक 01/12/1998 से नियमित की गई भूमि विपक्षी के नाम दर्ज हुई।
2. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नं0 6874/2998 रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म गै0मु0आचा भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक के रूप में अभिलिखित है।
3. जमाबन्दी संवत् 2055–58 में प्रश्नगत् आराजी के मूल आराजी नं0 2998 रकबा 25.47 हैक्टयर भूमि की किस्म गै0मु0नदी दर्ज है। इससे यह तथ्य तो सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग गै0मु0नदी अंकित थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./1612/2013/भीलवाडा सरकार बनाम शंकरी निर्णय दिनांक 31.03.2021 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 11.08.2021 को पंजीबद्ध

25.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाडा के मूल आराजी नं0 2998 रकबा 25.47 हैक्टयर भूमि की किस्म गै0मु0नदी संवत् 2055 से 58 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जो विपक्षीगण को 0.05 हैक्ट. दिनांक 01.12.1998 को कुएं हेतु उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा नियमन की गयी, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार सहाडा ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 2055 से 58 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रैणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव–

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कोशीथल तहसील सहाडा के आराजी नंबर 2998 रकबा 25.47 हैक्ट. किस्म नदी संवत् 2055 से 58 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा